

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रोङ्ग : सा. 3386 /2023

कार्यालय-ज्ञाप

पत्रांक-सा₀820/2021 दिनांक 26.08.2021 में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप को संशोधित करते हुए विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को रोजगार सम्बन्धी मार्गदर्शन/परामर्श देने के लिए ''प्लेसमेण्ट सेल'' का गठन अधोलिखित रूप में पुनर्गठित किया जाता है -

- अध्यक्ष

- 1. प्रो॰ राजनाथ
- डाँ. विद्या कुमारी चन्द्रा सदस्य
 डाँ. मधुसूदन मिश्र सदस्य
 डाँ. कुप्पा श्रीगुरू बिल्वेश सदस्य
- डाँ. विजेन्द्र कुमार आर्य सदस्य
- डॉ॰ ज्ञानेन्द्र सापकोटा
 सदस्य

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार

दिनाङ्गः : 10 सितम्बर, 2023

आइ.ए.एस. कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
- छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
- 4. पुस्तकाध्यक्ष।
- प्लेसमेण्ट सेल के समस्त महानुभाव।
- निदेशक, प्रकाशन/अनुसंधान संस्थान।
- समन्वयक नैक/आई॰क्यू॰ए॰सी॰
- 8. परीक्षा नियंत्रक।
- 9. विनयाधिकारी/मुख्य प्रतिपालक।
- 10. प्रोग्रामर
- 11. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
- 12. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
- 13. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
- 14. जनसम्पर्क अधिकारी।
- 15. सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार) आइ.ए.एस.

कुलसचिव



13/10/23 12:42 PM GMT +05:30

CERTIFICATE OF COLLABORATION

This is to certify Life Time Academic Placement Drive For Research Scholars in

Astrology, Numerology & Tarot Departments

Between

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya

&

Astroyogi - Netway India Pvt Ltd

Signed on_____

Prof. Bihari Lal Sharma	Mr. Madhusoodan Mishra	Ms. Meena Kapoor
Vice Chancellor	Placement Director	
Sampurnanand Sanskrit	Sampurnanand Sanskrit	CEO-Astroyogi.com
Vishwavidyalaya	Vishwavidyalaya	



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्राङ्कः सा. 2954 /2023

दिनाङ्कः : 🖌 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1377/सत्तर-3-2023 लखनऊ दिनांक 27.05.2023 के परिप्रेक्ष्य में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कैरियर काउन्सिलिंग रोजगार मेला के सफल आयोजन एवं सेवायोजना विभाग के जिला रोजगार सहायता अधिकारी/सहायक निदेशक से समन्वय स्थापित करने हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु डाँ. मधुसूदन मिश्र, सहायक आचार्य, ज्योतिष विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

संलग्नक - यथोक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ।

2. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के. अवलोकनार्थ।

3. डॉ., मधुसूदन मिश्र, सहायक आचार्य, ज्योतिष विभाग।

4. उपकुलसचिव (प्रशासन)।

5. अधीक्षक (प्रशासन)।

आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।

7. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव सं∘सं∘वि∘वि∘, वाराणसी ₩₩

कुलसचिव सं。सं。वि。वि。, वाराणसी

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र0 प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

लखनऊः दिनांक 27 मई, 2023

विषयः शिक्षण संस्थानों के उत्तीर्ण/अध्ययनरत अभ्यर्थियों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण एवं रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या—533/छत्तीस—5—2023— 08(42)/2020, दिनांक 19.05.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रोजगार मेलों के सफल आयोजन हेतु सेवायोजन विभाग हेतु शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निम्नवत् कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है:—

- 1. सामान्यत शैक्षणिक संस्थानों में कॅरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल स्थापित होते हैं। उक्त सेल के माध्यम से अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को कॅरियर काउंसिलिंग एवं रोजगार से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। उक्त सेल के माध्यम से संस्थान में सेल के नोडल अधिकारी द्वारा अध्ययनरत / पास आउट छात्र छात्राओं का पंजीकरण सेवायोजन पोर्टल पर कराये जाने से उन्हें सेवायोजन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार मेलो एवं कैरियर काउंसिलिंग कार्यक्रमों की जानकारी जानकारी जाती है। उक्त सेल के माध्यम से संस्थान में सेल के नोडल अधिकारी द्वारा अध्ययनरत / पास आउट छात्र छात्राओं का पंजीकरण सेवायोजन पोर्टल पर कराये जाने से उन्हें सेवायोजन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार मेलो एवं कैरियर काउंसिलिंग कार्यक्रमों की जानकारी समय–समय पर प्राप्त हो सकेगी। जिन शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के सेल स्थापित नहीं है यहां काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है।
- 2. काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के नोडल अधिकारियों (शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारी/कर्मचारी) को सेवायोजन विभाग के जिला रोजगार सहायता अधिकारी/सहायक निदेशक से समन्वय स्थापित किये जाने से संस्थानों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
- 3. नोडल अधिकारी संस्थान में अध्ययनरत्/ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत कराते हुए उनको रोजगार मेलों एवं कॅरियर काउंसिलिंग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु सेवायोजन विभाग से समन्वय स्थापित करेंगे।

2— इस सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं अनुपालन आख्या शासन को श्रीघ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u> संलग्नक-यथोक्त।</u>

NINHI G O

भवदीय, २/ (गिरिजेश कुमार त्यागी) विशेष सचिव।

1377 0.6-1.77 ATH 13023/05/2

STUIPSNED

<u> संख्या—553 / छत्तीस—5—2023—08(42) / 2020</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार—III, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

 अपर मुख्य सविव / प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

TAKI (GIKT) (A) ZU I

- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ, प्राविधिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 |

श्रम अनुभाग–5

लखनऊ : दिनाक 19 मई, 2023

विषयः शिक्षण संस्थानों के उत्तीर्ण / अध्ययनरत अभ्यर्थियों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण एवं रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

1957/45/23

4S(A)

अवगत कराना है कि श्रम अनुभाग—5 के शासनादेश संख्या—3/2019/320/छत्तीस—5— 2019—7(88)/2017टी0सी0—II, दिनांक 26 जून, 2019**(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत समस्त नौकरियों हेतु सेवायोर्जन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर पंजीकरण अनिवार्य किये जाने के निर्देश निर्गत किये गयें हैं।

2— प्रदेश में युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़कर 'आत्म निर्भर भारत' व हर हाथ को काम' अभियान को सफल बनाये जाने हेतु मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार मेलों का आयोजन सेवायोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है। श्रम अनुभाग—5 के शासनादेश संख्या 13/2018/922/

23-5-2-3 छत्तीस-5-2018-8(44)/2018 दिनांक 25 सितम्बर, 2018(छायाप्रति संलग्न) द्वारा रोजगार मेला एवं (गिरिजेश कुमार करियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विशेष सं^{दिव}समिति का गठन करते हुये निम्नवत कार्य/दायित्व निर्धारित किये गये हैं-

. उच्च शिक्षा विभाग 1. जिले के सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीयन सुनिष्चित उ0 प्र0 शासन। कराना।

- जनपद के अंतर्गत आउटसोर्सिंग, संविदा, सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी क्षेत्र की समस्त रिक्तियों को अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड कराना।
- 3. रोजगार मेलों एवं कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का कैलेण्डर जारी करना, कार्यक्रम स्थल का चयन, व्यापक प्रचार-प्रसारें कराना, निदेशालय से बजट की मांग, नियोजकों एवं शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क करना।
- 4. रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रहे नियोजकों के ठहरने, खाने-पीने एवं स्थानीय ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, जिलास्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाना, कार्यक्रम से जुड़ी समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करना तथा चयनित अभ्यर्थियों क्रूकी समस्याओं का समाधान कराना इत्यादि है।

1

उक्त व्यवस्था के अंतर्गत रोजगार मेलों का आयोजन प्रदेश के समस्त जनपदों में सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है।

सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेलो के आयोजन से पूर्व ही सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट--पोस्ट ग्रेजुएट, आईoटीoआईo, पॉलिटेक्निक एव इन्जीनियरिंग इत्यादि शैक्षिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों का पंजीकरण होने से उन्हें रोजगार मेलों के आयोजन की सूचना व मेले में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अतः इन रोजगार मेलों के सफल आयोजन हेतु सेवायोजन विभाग एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निम्नवत संयुक्त प्रयास किया जाना आवश्यक है:--

सामान्यतः शैक्षणिक संस्थानों में कॅरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल स्थापित होते हैं। उवंत सेल के माध्यम से अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को कॅरियर काउंसिलिंग एवं रोजगार से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। उक्त सेल के माध्यम से संस्थान में सेल के नोडल अधिकारी द्वारा अध्ययनरत्/ पासआउट छात्र/छात्राओं का पंजीकरण सेवायोजन पोर्टल पर कराये जाने से उन्हें सेवायोजन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार मेलों एवं कॅरियर काउंसिलिंग कार्यक्रमों की जानकारी समय-समय पर प्राप्त हो सकेगी। जिन शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के सेल स्थापित नहीं हैं वहाँ काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है।


काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के नोडल अधिकारियों(शैक्षणिक संरथानों के अधिकारी / कर्मचारी) को सेवायोजन विभाग के जिला रोजगार सहायता अधिकारी / सहायक निदेशक से समन्वय स्थापित किये जाने से संस्थानों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों की

- जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
 - नोडल अधिकारी संस्थान में अध्ययनरत् / उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत कराते हुए उनको रोजगार मेलों एवं कॅरियर काउसिलिंग कार्यकर्मों में प्रतिभाग करने हेतु सेवायोजन विभाग से समन्वय स्थापित करेंगे।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ शैक्षणिक संस्थानों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा समस्त जिलाधिकारीगण अपने जनपद में प्रति माह होने वाली समीक्षा बैठक के माध्यम से उक्त निर्देशों का अनुपालन कराना एवं प्रर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें। संलग्नक–यथोक्त।

2





संख्या—553(1) / छत्तीस—5--2023, तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(उदय वीर सिंह राठौर) अनु सचिव

<u>संख्या-3/2019/320/छतीस-5-2019-7(88)/2017टी॰सी॰-।।</u>

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,

मुख्य सचिव,

उ°प्र° शासन।

सेवा में,

- समस्त अपर मुख्य अचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ॰प्र॰ शासन।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभुख कार्यालयाध्यक्ष,

उ॰দ्र॰।

3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलधिकारी,

उ०प्र०।

श्रम अनुभाग-5 लखनऊ : दिनॉक 26 जून, 2019 विषय : उत्तर प्रदेश के अन्तर्गल समस्त नौकरियों हेतु सेवायोजन पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सेवायोजन विभाग उ०प्र० द्वारा www.sewayojan.up.nic.in पोर्टल का विकास कराया गया है। इस पोर्टल पर बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों के पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों के हितों के दृष्टिगत यह उचित होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत भरी जाने वाली समस्त नौकरियों (समस्त सरकारी/अर्द्ध सरकारी, निजी क्षेत्र, संविदा, आउटसोर्सिंग से भरी जाने वाली रिक्तियां अथवा स्वरोजगार) हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण अन्तिवार्थ किंशा जाए। नियोजकों एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों के सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने से शासन को रोजगार/बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति प्राप्त होगी जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु योजनाएं बनायी जा सकेंगी। इससे प्रदेश में प्रतिवर्ष बेरोजगार अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार की प्रमाणित संख्या भी उपलब्ध हो सकेगी।

2- सेवायोजन पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in पर पंजीकरण कराने हेतु सर्वप्रथम बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों द्वारा युजर नेम एवं पासवर्ड बनाया जायेगा। तत्पश्चात पोर्टल पर लॉगइन कर यूजर द्वारा अपनी समस्त आवण्यक सूचनाएं प्रविष्ट करने की व्यवस्था है। बेरोजगार अभ्यर्थी द्वारा वैयक्तिक, शैक्षिक, अनुभव, कौशल, वरीयता सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं पोर्टल पर प्रविष्ट करने के उपरान्त पोर्टल से अपने पंजीकरण की रिपोर्ट (X-10) का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है।

an fan 'e ferfenske en skriet fan de skriet fan 'e stere en skriet fan 'e skriet fan 'e skriet fan 'e skriet f New Merie af Skriet fan 'e s New Merie af Skriet fan 'e skriet fan 'e

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता येंच साइट <u>http://shasanadesh.up.nic.in</u> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- सेवायोजन पोर्टल में नियोजकों के पंजीकरण की भी व्यवस्था की गयी है। निजी क्षेत्र के समस्त नियोजकों द्वारा पोर्टल 'पर यूजर नेम एवं पासवर्ड बनाने के उपरान्त अपने संस्थान से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं पोर्टल में प्रविष्ट कराने के उपरान्त अपना पंजीयन कराने की व्यवस्था है। पंजीयन कराने के उपरान्त निजी क्षेत्र के नियोजक अपने संस्थान की रिक्तियों को पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। इन अपलोड की गयी रिक्तियों के सापेक्ष अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाले अध्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर ही आवेदन करने की व्यवस्था की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवायोजन विभाग के उक्त पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in पर प्रदेश के अन्तर्गत होने वाली समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं निजी क्षेत्र की भर्तियों तथा स्वरोजगार हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीकरण अनिवार्य किये जाने की व्यवस्था की जाए। तदनुसार समस्त विभागों द्वारा अपने भर्ती संबंधी प्रपन्नों में सेवायोजन पंजीकरण संख्या अंकित करने हेतु यथावश्यक संशोधन करने का कण्ड करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

心理研究中学习

(अनूप चन्द्र पाण्डेय) मुख्य सचिव

<u> संख्या- 3/2019/320(1)/छत्तीस-5-2019, तददिनॉक</u>।

प्रतिलिपिः निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र० लखनऊ को सूचन्यर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

हेत्

. (जय शंकर तिवारी) उप सचिव

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.nic.in</u> हे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-13/2018/922/छत्तीस-5-2018-8(44)/2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय, मुख्य सचिव, उ॰प्र॰ शांसन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ॰प्र॰ शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ॰प्र॰।

उ॰प्र॰।

श्रम अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2018 विषय- रोजगार मेला एवं कैरियर काउन्सिलिंग-कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

रोजगार मेला एवं कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में सेवायोजन विभाग द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों हेतु रोजगार मेला एवं कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। रोजगार मेलों का उद्देश्य रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों के अनुरूप उपलब्ध जनशक्ति को ऑनलाइन एवं पारदर्शी प्लेटफार्म उपलब्ध कराना, निजी क्षेत्र के नियोजकों एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों को एक स्थान पर आमंत्रित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा रोजगार मेलों के माध्यम से प्राप्त फीडबैक का प्रयोग बेरोजगार अभ्यर्थियों की कैरियर काउन्हिसलिंग हेतु करना, रोजगार मेलों में चयनित न हो पाने वाले अभ्यर्थियों के स्किल गैप का पता लगाना एवं उचित प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना है। इसी प्रकार कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के अवसरों एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध जनशक्ति के असन्तुलन को दूर करना तथा अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना है। इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर समिति गठित किये जाने की आवश्यकता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यक्रमों के प्रभावी एव सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निम्नवत समिति का गठन कर उनके कार्य/दायित्व निम्नवत निर्धारित किये जाते हैं :-

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है; अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं: है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.nic.in</u> से सत्यापित की जा सकती है ।

· · · · · ·

- 14

and the second second গুঁৱলা । এই নামন নামৰ উপ্ত হল্যা নাম

-- • •

.

राज्य स्तरीय समिति :-		
गरहर, ते सिंग किंदा के समार के सेवायोजन प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन	-	अध्यक्ष
, सचिव/विशेष सचिव, श्रम एव सेवायोजन	-	उपाध्यक्ष
निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	-	सदस्य सचिव
अपर निदेशक, सेवायोजन	-	सदस्य
वित्त नियत्रक, निदेशालय	-	संदस्य
उप निदेशक, सेवायोजन निदेशालय	-	सदस्य
कैरियर विशेषज्ञ(अध्यक्ष द्वारा नामित)	-	सदस्य
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी	-	सदस्य
उँयोग संघों के प्रतिनिधि(अध्यक्ष द्वारा नामित)	-	सदस्य
शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि(अध्यक्ष द्वारा नामित)	-	सदस्य

राज्य स्तरीय समिति के कार्य :-

राज्य स्तरीय समिति के कार्य रोजगार मेलों एवं कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों की योजना तैयार कराना, योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित करना, योजनाओं का पर्यवेक्षण करना, नियोजकों से सम्पर्क करने हेंतु अधिकारियों की टीमें गठित करना, नियोजकों से एम॰ओ॰यू॰ करना, रोजगार मेले हेतु बजट जारी करानां, जिला स्तरीय समिति की समस्याओं का समाधान करना इत्यादि होंगे।

जिला स्तरीय समिति :-

जिलाधिकारी	_	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
जिला रोजगार सहायता अधिकारी/सहायक निदेशक	-	सदस्य सचिव
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	· _	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	-	सदस्य
प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	-	सदस्य
प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक	-	सदस्य
उद्योग संघों के प्रतिनिधि(अध्यक्ष द्वारा नामित)	-	सदस्य
शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि(अध्यक्ष द्वारा नामित)	-	सदस्य
कैरियर विशेषज्ञ(अध्यक्ष द्वारा नामित)	-	सदस्य

3/-

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.nic.in</u> से अल्यापित की जा सकती है ।

जिला स्तरीय समिति के कार्य :-

जिला स्तरीय समिति का कार्य जिले के सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित कराना, जनपद के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग, संविदा, सरकारी, अर्बसरकारी एवं निजी क्षेत्र की समस्त रिक्तियों को अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड कराना, रोजगार मेलों एवं कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का कैलेण्डर जारी करना, कार्यक्रम स्थल का चयन करना, कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराना, उक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु निदेशालय से बजट की मांग करना, नियोजकों एवं शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क करना, रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रहे नियोजकों के ठहरने, खाने-पीने एवं स्थानीय ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराना, रोजगार मेले हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की डयूटी लगाना, कार्यक्रम से जुडी समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना, रोजगार मेलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करना तथा चयनित अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान कराना इत्यादि है।

3- सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत संचालित रोजगार मेले एवं कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों के प्रभावी एवं सफल क्रियान्धयन हेतु तदनुसार गठित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने कार्य/दायित्वों का अनुपालन सुनिश्वित किया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशों को कड़ाई से अन्पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय (अनूप चन्द्र पाण्डेय) मुख्य सचिव

<u> संख्या-13/2018/922(1)/छल्तीस-5-2018, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ॰प्र॰ लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् ऐषित।

आज्ञा से,

(मुनीन्द्र कुमार सिंह) विशेष सचिव

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली आरी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकत: वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.nic.m</u> से सत्यापित की जा सकती है।

-3-




सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी

विनाडू:- 17)07 DO2

पत्रांक सं. Dey. No 312 6/2021

आदेश

कुलपति महोदय के आदेश दिनाङ्क 10/07/2021 के द्वारा डॉ. मधुसूदन मिश्र को कोचिंग क्लासेज फार इन्ट्री इन सविंसेज के समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया है।



सार्वतिका परामंश . साधात्मक परीक्षाणी इन्दे

तिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित-

- 1. सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्तअधिकारी, सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।
- डॉ. मधुसूदन मिश्र, ज्योतिष विभाग, सं.सं.वि.वि., वाराणसी।
- 4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलमचिव सं.सं.वि.वि., वाराणसी